न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 03 / 2017

अपीलार्थीपक्ष

1. धारूराम पुत्र खानुराम,
2. जेतारात पुत्र खानुराम,
3. दीपाराम पुत्र मुरलीराम,
4. खाजुराम पुत्र जेठाराम,
5. गणेशाराम पुत्र जेठाराम,
6. नैमाराम पुत्र जेठाराम,
   नाबालिगान जरिये वली बड़े खाजुराम पुत्र जेठाराम
7. श्रीमती हीरादेवी पत्नी मुरलीराम
   समस्त जातियान मेघवाल, निवासीगण – पदमगढ़, सोलंकिया तला, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीपक्ष

1. चुनाराम पुत्र दमाराम,
2. कुम्भाराम पुत्र दमाराम,
3. लिछाराम पुत्र केवलराम,
4. चोलाराम पुत्र केवलराम,
5. मुन्नाराम पुत्र केवलराम,
6. विरमाराम पुत्र केवलराम,
7. पून्नी पुत्री केवलराम,
8. इमिया पुत्री केवलराम,
9. बरजू देवी पत्नी केवलराम,
10. चौथाराम पुत्र जेठाराम,
    समस्त जातियान मेघवाल, निवासीगण – पदमगढ़, सोलंकिया तला, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
11. तहसीलदार शेरगढ़, जिला जोधपुर।

प्रथम भू–राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम बखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 296 ग्राम सोलंकिया तला तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर द्वारा दिनांक 31.12.1979 को स्वीकृत किया गया के विरूद्ध।

– – –

उपस्थिति :–

1. श्री भूपतसिंह जोधा अधिवक्ता (अपीलार्थीपक्ष)।
2. श्री उम्मेदसिंह बावरला अधिवक्ता (प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 09)।

—: आदेश :— दिनांक :—15.01.2020

अपीलार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 296 ग्राम सोलंकिया तला तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर जो तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा दिनांक 31.12.1979 को स्वीकृत किया गया, को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत हुई। अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वाके ग्राम सोलकियां तला के खसरा नं0 891, 892, 893, 894 अपीलार्थीपक्ष के पूर्वज की जमीन आई हुई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थीपक्ष को सुनवाई का अवसर/नोटिस दिये बिना नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, से व्यथित होकर अपील मीमो मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश हुई।

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख तहसीलदार शेरगढ़ से तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह बांवरला ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। मूल अभिलेख प्राप्त होने पर प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना—पत्र का जवाब पेश होने के पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीपक्ष के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थी अनपढ़ है तथा सर्वप्रथम दिनांक 18.12.2016 को पटवारी हल्का के पास जाकर राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी लेने पर पटवारी ने बताया कि विवादग्रस्त भूमि का अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रत्यर्थीपक्ष के पूर्वज दमाराम के नाम स्वीकृत किया गया, तब हुई। अतः जानकारी तिथि से अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार की जावें। अपनी बहस के समर्थन में RRT 2017(2) Page 1104 पर दिये गये न्याय निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

अपीलार्थीपक्ष के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थीपक्ष को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी और न ही नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व कोई जांच नहीं की गई। न ही कोई पत्रावली दर्ज की गई और आनन—फानन में नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व न तो पक्षकारों को सुना गया और न ही राजीनामा जैसी कोई बात हुई थी परन्तु तहसीलदार महोदय ने बिना किसी आधार के उक्त तथ्यों का अंकन कर भारी भूल की है। तहसीलदार महोदय ने नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व धारा 135 नामान्तरकरण कानून को भली भाँति नहीं समझकर भारी भूल की है इस बिनाय पर हस्तगत नामान्तरकरण निरस्त योग्य है।

प्रत्यर्थीपक्ष के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 31.12.1979 को स्वीकृत किया गया था उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने के 38 वर्ष पश्चात् यह अपील प्रस्तुत हुई है जबकि अपील प्रस्तुत करने की अवधि मात्र 30 दिन है। अपीलार्थीपक्ष ने मियाद आवेदन में बिल्कुल ही झूठे व मनगढन्त तथ्य वर्णित किये कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक

18.12.2016 को हल्का पटवारी से हुई, जबकि हकीकत यह है कि अपीलार्थीपक्ष द्वारा दिनांक 24.06.2016 को श्रीमान प्रभारी अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर शेरगढ़ कैम्प सोलंकिया तला के समक्ष उपस्थित होकर एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपीलान्ट संख्या 1 से 5 के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ के निशान है कि नामान्तरकरण संख्या 296 के तहत खसरा संख्या 891, 892, 893, 894 रकबा 171.14 बीघा में खानू मुरली पुत्र सादुलाराम के साथ दमाराम पिता सादुलराम का नाम जोड़ा गया, लेकिन लिपिकीय भूलवंश खसरा नं0 940 में दमाराम का नाम दर्ज हो गया, जो कि गलत है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीपक्ष अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 296 से तो बिल्कुल सहमत थे अगर उजर एतराज होता तो उसी दिन उजर एतराज करते, परन्तु अपीलार्थीपक्ष ने किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं किया, इस कारण अब अपलार्थीपक्ष को नामान्तरकरण के विरूद्ध उजर एतराज करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है। अपीलार्थीपक्ष को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 296 की दिनांक 24.06.206 को भलीभाँति जानकारी हो गई थी, जो अभिलेख पर मौजूद है। अपीलार्थीपक्ष ने प्रार्थना–पत्र में नामान्तरकरण संख्या 296 का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है परन्तु अपीलार्थीपक्ष ने म्याद आवेदन में बिल्कुल ही झूठे तथ्य वर्णित किये है, इस तरह उक्त अपील जानकारी के दिनांक से भी स्पष्ट रूप म्याद बाहर है, इस कारण न्यायहित में म्याद आवेदन पत्र अपील म्याद के बिन्दु पर मय हर्जा खर्चा खारिज किया जाना न्यायोचित है। अपनी बहस के समर्थन में RRT 2010(2) Page 801, RRT 2014(2) Page 1476, RRT 2014(2) Page 1349, RRT 2013(2) Page 887, RRT 2014(2) Page 1331 पर दिये गये न्याय निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

प्रत्यर्थीपक्ष के अभिभाषक ने अपनी बहस में आगे कहा कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9 तक स्व0 खानुराम, मुरलीराम व दमाराम पुत्रान् स्व0 सादुलराम के वारिसान है, अपीलार्थीपक्ष के पूर्वज खानूराम, मुरलीराम व प्रत्यर्थीपक्ष के पूर्वज दमाराम तीनों संगे भाई थे तथा वादग्रस्त भूमि अपीलार्थीपक्ष व प्रत्यर्थीपक्ष की पुश्तैनी कृषि भूमि होने से इन तीनों भाईयों का हक व अधिकार था। तीनो भाईयों के देहान्त हो जाने के बाद अपीलार्थीपक्ष व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 10 का हक व अधिकार है। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 10 का वक्त सेटलमेन्ट से लेकर आज तक पीढ़ियों से अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है, परन्तु वक्त सेटलमेन्ट से भूलवंश एवं परिवार में स्व0 खानुराम व स्व0 मुरलीराम कर्ता खानदान होने के कारण वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में इनका नाम दर्ज कर दिया एवं प्रत्यर्थीपक्ष के पूर्वज स्व0 दमारामजी का नाम भूल से दर्ज करने से रह गया, जबकि स्व0 दमारामजी का भी वादग्रस्त भूमि में हक व अधिकार था क्योंकि दमाराम जी का भी विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त था। इसी कारण अपीलार्थीपक्ष के पूर्वज खानूराम व मुरलीराम ने अपने जीवनकाल में ही राजी खुशी स्वेच्छा से पूर्ण सहमति देकर जरिये राजीनामा दमाराम के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि व नियमानुसार स्वीकृत करवा लिया। अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलार्थीपक्ष के पूर्वजों की उपस्थिति में उनकी पूर्ण सहमति से स्वीकृत किया गया तथा खानूराम व मुरलीराम ने अपने जीवनकाल में उक्त नामान्तरकरण बाबत् कभी भी किसी प्रकार का उजर एतराज नहीं किया। इन दोनों के देहान्त होने के बाद अपीलार्थीपक्ष ने

प्रत्यर्थीपक्ष को तंग व परेशान एवं खर्चा से जैर बार करने की नियत से अपील पेश की है।

प्रत्यर्थीपक्ष के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि पक्षकारों को समय के साथ ही साथ महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाते है, जो बिना न्यायोचित कारण विधि अनुसार समाप्त नहीं किये जा सकते है एवं नामान्तरकरण अपील एक सरसरी कार्यवाही है, जिसमें पक्षकारों के हक व अधिकारों का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थीपक्ष का वादग्रस्त भूमि पर शुरू से ही पीढ़ियों से कब्जा व काश्त चला आ रहा है, मौके पर ढाणियां व पक्का टांका बना हुआ है जिसमें प्रत्यर्थीपक्ष परिवार सहित निवास कर रहे है तथा विधि अनुसार एडवर्ड पजेशन के आधार पर भी प्रत्यर्थीपक्ष को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, जो नामान्तरकरण अपील के द्वारा कानून समाप्त नहीं किये जा सकते है। इस कारण अपीलार्थीपक्ष की अपील खारिज किया जाना न्यायोचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थीपक्ष ने प्रार्थना–पत्र में बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.12.2016 को हुई, जब अपीलान्ट पटवारी हल्का के पास गये और उन्होनें रिकॉर्ड की जानकारी ली तो पटवारी हल्का ने रिकॉर्ड देखकर अपीलान्ट को बताया कि उसके खाते में प्रत्यर्थीपक्ष के पूर्वज दमाराम का नाम इन्द्राज है। प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों से स्पष्ट हो रहा है कि दिनांक 24.06.2016 को राजस्व कैम्प के दौरान प्रभारी अधिकारी को प्रार्थना–पत्र पेश करते हुए कहा कि नामान्तरकरण संख्या 296 के तहत खसरा संख्या 891, 892, 893, 894 रकबा 171.14 बीघा में खानू मुरली पुत्र सादुलाराम के साथ दमाराम पिता सादुलराम का नाम जोड़ा गया, लेकिन लिपिकीय भूलवंश खसरा नं0 940 में दमाराम का नाम दर्ज हो गया, जो कि गलत है। अतः रेस्पोडेन्ट पक्ष के इस कथन से हम सहमत है कि अपीलार्थीपक्ष को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 24.06.2016 से थी। उक्त तथ्यों का अपीलार्थीपक्ष द्वारा खण्डन तक नहीं किया गया। अपीलार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय एवं प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयों का भी अध्ययन किया। अपीलार्थीपक्ष के न्याय निर्णय RRT 2017(2) Page 1104 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने बंटवारा वाद के निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील को मात्र मियाद बिन्दु के आधार पर निरस्त कर न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है, अभिनिर्धारित किया गया है परन्तु यहां पक्षकारों के बीच एक नामान्तरकरण की अपील है जो एक सरसरी कार्यवाही है अर्थात् पक्षकारान् के अधिकार तय नहीं किया जा सकते है। प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय RRT 2014(2) Page 1349 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की खण्डपीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि 9 वर्ष से पश्चात् अपील में विलम्ब हेतू सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं होने अपील निरस्त योग्य है। प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थीपक्ष को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 18.12.2016 को न होकर दिनांक 24.06.2016 को हो गयी। अतः अपील में जो विलम्ब के कारण बतलाये गये है वो

सन्तोषप्रद नहीं होने से विलम्ब क्षमा योग्य नहीं है। अतः अपील मियाद बाहर होने से अपील निरस्त योग्य है। द्वितीयतः अपील एक सरसरी कार्यवाही (fiscal proceeding) होने से पक्षकारान् के स्वत्व तय नहीं किये जा सकते है यदि अपीलार्थी के हित प्रभावी होते है तो वह सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर अधिकार तय करा सकता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जाये।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.02.11 15:35:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: